an>

Title:Need to include Kurmali and Mundari languages in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): क्षेत्रीयता की संतुÂिट के लिए भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है। अब तक इसमें हिन्दी सहित 22 क्षेत्रीय भाÂाओं को शामिल किया जा चुका है। साथ ही 38 भाÂाएं केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं और 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। झारखण्ड की 5 भाÂाएं भी प्रतीक्षा सूची में हैं। इन भाÂाओं की प्रतीक्षा कब खत्म होगी, यह कहना मुश्किल है। इस संबंध में भारत सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। झारखण्ड की जिन 5 भाÂाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव दिया गया है, उनमें हो, कुड़ुख, कुरमाली, मुंडारी एवं नागपुरी शामिल हैं।

कुरमाली भाÂाा झारखण्ड की एक प्रमुख भाÂाा है। यह केवल झारखण्ड में ही नहीं, बल्कि उड़ीसा में क्योंझर, बोनई, बामडा, मयूरभंज, सुंदरगढ़, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पुरूलिया, मिदनापुर, बंकुरा, मालदा, दिनाजपुर के सीमावर्ती इलाके, जो बिहार से सटे हैं एवं बिहार के भागलपुर इलाके में भी बोली जाती है। यह भाÂाा केवल कुर्मियों तक ही सीमित नहीं बल्कि इनके साथ निवास करने वाले अन्य जातियों के भाव-विनियम का भी साधन है। इसी तरह मुंडारी भाÂाा विश्व के प्राचीनतम भाÂाओं में से एक है और इसकी संस्कृति भी प्राचीनतम है। मुंडारी भाÂाा ने दूसरी भाÂाओं को भी प्रभावित किया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि लाखों लोगों की भावनाओं को समझते हुए कुरमाली एवं मुंडारी भाÂाओं को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाए।